भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.688**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर कोरोना का प्रभाव

688. श्री अजय मिश्र टेनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित यूनिटें भी कोरोना काल में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कोरोना संकट से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित यूनिटों को राहत प्रदान करने के लिए ब्याज स्थगन, लीज दर में वृद्धि नहीं किया जाना, दर भुगतान को आस्थगित करना सहित कुछ प्रावधन करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान एसईजेड से पण्यवस्तु निर्यात के संबंध में एक तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

पण्यवस्तु निर्यात (अप्रैल - अगस्त,2020)	**विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान पण्यवस्तु निर्यात(अप्रैल - अगस्त2019)**
81,481 करोड रूपए	**1,30,129 करोड रूपए**

तथापि, विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 के दौरान सेवा निर्यात में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई ।

(ग) एवं (घ) : एसईजेड विकासकों/सह-विकासकों/इकाईयों को सुविधा देने के लिए कोविड - 19 प्रकोप के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

(i) विभिन्न अनुपालनों उदाहरणार्थ त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर); साफ्टेक्स फॉर्म तथा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) को दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31.03.2020 से बढाकर 30.06.2020 कर दी गई ।

(ii) विकास आयुक्तों (डीसी) को समय-बद्ध तरीके से , इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कोविड महामारी के दौरान समाप्त होने वाले अनुमोदन पत्र (एलओए) तथा अन्य अनुसूचित अनुपालन को विस्तार की सुविधा प्रदान करने का निदेश दिया गया था । इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां इलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से विस्तार देना संभव नहीं था वहां विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया कि विकासकों /सह-विकासकों/इकाईयों ने व्यवधान की इस अवधि के दौरान ऐसी वैधता की समाप्ति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं किया तथा 30.06.2020 तक बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्ति तिथि का तदर्थ अंतरिम विस्तार/आस्थगन की अनुमति दी गई थी।

(iii) एसईजेड में आईटी/आईटीईएस इकाईयों, के साथ गैर आईटी/आईटीईएस इकाईयों को भी घर से कार्य करने के लिए एसईजेड के बाहर डेस्कटॉप/लैपटॉप ले जाने की अनुमति दी गई । इसने लॉकडाउन के बावजूद सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के लिए विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में निर्यात को सक्षम किया है ।

(iv)विकास आयुक्तों को अनुमोदन समिति द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन आवश्यक वस्तुओं जैसे मास्क, सैनिटाइजर, गाउन और अन्य सुरक्षात्मक/निवारक उत्पादों/उपकरणों के विनिर्माण के मामले में ब्रॉड-बैंडिंग के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(v) निर्देश जारी किए गए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के एसईजेड में इकाईयों के लिए पट्टा किराया में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।

(vi) केंद्र सरकार की एसईजेड की सभी इकाईयों के लिए प्रथम तिमाही के पट्टा किराया का भुगतान 31 जुलाई 2020 तक आस्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विकास आयुक्तों से यह भी अनुरोध किया गया था कि इकाईयों को पट्टा किराया की पहली दो तिमाही की किस्तों को 1 अक्तूबर 2020 से शुरू होने वाली छह समान किस्तों में देने की मंजूरी दी जाए ।

(vii) विकास आयुक्तों से यह भी अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार/निजी एसईजेड के विकासकों को अपने क्षेत्रों में इसी तरह के राहत उपायों पर विचार करने की सलाह दें ।

(viii) सभी विकास आयुक्तों को सुग्राही इलेक्ट्रॉनिक कार्य संस्कृति को अपनाने और इकाईयों जिसमें ड्रग्स, आवश्यक वस्तुओं आदि के विनिर्माण में लगी इकाइयॉ शामिल हैं को आवश्यक सहायता देने और कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

****